कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया मध्यप्रदेश

Website- www.datiamedicalcollege.com & E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com
पता– 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, मध्यप्रदेश पिनकोड – 475661, टेलीफोन न. 07522–234001

पत्र क्रमांक 6722/जे.आर/द.चि.म./2024

दतिया, दिनांक 09/08/2024

//विज्ञापन//

संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्र. 2–15/2022/01/55/स्था. राज/2021 दिनांक 24/12/2021 में प्रदत्त अनुमति एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 2–15/2022/1/55 भोपाल दिनांक 04/03/2022 द्वारा प्रदत्त स्वीकृती अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. 2–42/07/1/55, भोपाल दिनांक 17/12/2021 में चयन प्रक्रिया के संबंध में वर्णित नियम एवं शर्तों के आधार पर जूनियर रेसीडेंट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) हेतु भरे जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में **वॉक–इन–इंटरव्यू** प्रत्येक मंगलवार को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में आयोजित किये जावेगें। यह नियुक्ति एक वर्ष हेतु की जावेगी तत्पश्चात् संस्था में आवश्यक होने पर उपरोक्त अवधि बढाने पर विचार किया जावेगा।

(जूनियर रेसीडेंट निश्चित वेतन रूपये 59,223/–प्रतिमाह)

स.क्र.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद	UR	ST	SC	OBC	EWS
01.	जनरल मेडिसिन	01	00	00	00	01	00
कुल		**01**	**00**	**00**	**00**	**01**	**00**

महिला (Female) चिकित्सक उपलब्ध न होने पर पद पुरूष वर्ग से भरा जावेगा।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 27 प्रतिशत के संबंध में दायर याचिका का अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

जूनियर रेसीडेंट पद हेतु **वाक–इन–इंटरव्यू** नोटिस जारी होने के उपरांत प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार (कार्य दिवस) को प्रातः 10:00 बजे तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के कार्यकाल में आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेगें। तत्पश्चात् प्राप्त दस्तावेजों के स्क्रूटनी समिति द्वारा स्क्रूटनी के उपरांत पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार कर दोपहर 01:00 बजे कॉलेज काउंसिल रूम में आयोजित किये जायेगें। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की मूलप्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनत आदेश क्र. एफ–4–7/2/55 दिनांक 25/08/2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन जूनियर रेजीडेंट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बॉण्ड से इस शर्त साथ मुक्त किया जायेगा, की बॉण्ड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवायें देगें। उक्त अवधि के पूर्व की सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा किये गये बॉण्ड की शर्ते लागू हो जायेगी और उन्हे निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

09/08/24
डॉ. किरण त्रिपाठी
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
नोडल अधिकारी, सीनियर/जूनियर रेजिडेन्ट
शा.चि.म. दतिया

नोट :–

01. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
02. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या बृद्धि हो सकती है।
03. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं एवं विकलागों हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार प्रत्येक श्रेणी मे सीटें आरक्षित है।
04. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते है तो इस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणीं के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जावेंगी।
05. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :–

जूनियर रेसीडेंट

पात्रता :–

01. जूनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व, एम.बी.बी.एस.पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले चिकित्सक होगें।
02. चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
03. एन.एम.सी. द्वारा समय–समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।

अपात्रता :–

01. एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस.पाठ्यक्रम की अध्ययरत् अवधि में अधिष्ठाता / प्राचार्य चिकित्सा / दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लघंन चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
02. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
03. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र / छात्रा के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
04. पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अधिष्ठाता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
05. बिन्दु 01 से 04 में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे छात्र–छात्रायें चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जावेगें।
06. उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में छात्र–छात्रा द्वारा इन्टर्नशिप पूर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले Internship Completion Certificate में इस आशय की स्पष्ट टीप दिया जाना आवश्यक होगा।

चयनविधि :–

01. अधिष्ठाता द्वारा कॉलेज नोटिस बोर्ड, कॉलेज बेवसाइट के माध्यम से इन पदो के लिये विज्ञप्ति जारी किया जावेगी तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।
02. योग्य अभ्यर्थी का चयन उनके द्वारा एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में लगे Attempts, सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के सफल प्रतिशत एवं साक्षात्कार के आधार पर नियत होगा।
03. चयनित उम्मीदवारों की सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी। चयनित चिकित्सक द्वारा सेवायें छोड़ने पर शेष अवधि के लिए प्रतीक्षारत चिकित्सक का चयन किया जायेगा। यह प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष तक के लिये वैध होगी।
04. चयनित जूनियर रेजीडेंट को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

09/08/24
डॉ. किरण त्रिपाठी
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
नोडल अधिकारी, सीनियर/जूनियर रेजि.
दतिया

टेन्युअर (**Tenure**) :–

1. यह नियुक्ति 01 वर्ष के लिये की जायेगी। 01 वर्ष पश्चात् संस्था में आवश्यक होने पर कार्य संतोषजनक पाये जाने पर पुनः 01 वर्ष के लिये और बढायी जा सकेगी, टेन्योर अधिकतम 03 वर्ष का होगा उसके उपरांत आपकी सेवा स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी पृथक से कोई आदेश प्रसारित नहीं किए जायेगें।
2. 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का टेन्योर समाप्त होने के 15 दिवस पूर्व कार्य संतोषप्रद होने संबंधी की गई अनुशंसा एवं जूनियर रेसीडेंट चयन समिति के सलाह पर संबंधित का टेन्योर अधिष्ठाता के द्वारा आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
3. विभागाध्यक्ष द्वारा चिकित्सक का कार्य संतोषजनक रिपोर्ट नहीं देने पर अथवा अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने पर उसकी सेवाऐं तत्काल समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।

आरक्षण :–

01. राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
02. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :– जूनियर रेसीडेंट प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी, तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। सप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृति:–मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचालित जूनियर रेजीडेंट हेतु शिष्यावृति देय होगी।

1. **अवधि** :– जूनियर रेसीडेंट की सेवा अवधि (**Tenure**) 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात संस्था में आवश्यक होने पर सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01–01 वर्ष हेतु समय बढाते हुए अधिकतम 03 वर्ष तक बढ़ाई जावेगी।
2. **नियुक्ति तरीका** :– योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस. परीक्षा सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. **आवेदन शुल्क** :– जूनियर रेसीडेंट के पद हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु किसी प्रकार का शुल्क लागू नही होगा, आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क होगी।
4. संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने पात्रता नहीं होगी।
5. **यात्रा भत्ता** :– साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नही दिया जायेगा।

अन्य शर्ते :–

01. जूनियर रेजीडेंट को प्रति सप्ताह में 01 दिन अवकाश की पात्रता होगी। तथा सप्ताह में 01 दिन अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेजीडेंट से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
02. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
03. मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
04. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
05. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
06. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था मे कार्यरत् है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
07. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य मेडिकल काउंसिल अथवा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूलप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
08. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्क्रूटनी समिति के समक्ष यह शपथ-पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाडे की सूची में नही है एवं उनके विरूद्ध कोई भी प्रकरण

डॉ. किरण त्रिपाठी
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
नोडल अधिकारी, सीनियर/जूनियर रेजिडेंट

पुलिस मे दर्ज नही है। यदि उनके विरूद्ध पी.एम.टी. / पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची मे है या इनके विरूद्ध प्रकरण पुलिस में दर्ज है तो उन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

09. साक्षात्कार के समय यदि विभाग में ओ.बी.सी. पद रिक्त है तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी साक्षात्कार में ओ.बी.सी. श्रेणी मे सम्मिलित किया जावेगा।

10. बाण्डेड अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बॉण्ड भरा हुआ है एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग / नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नही आई है किन्तु मैंने अपनी ज्वाइनिंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नहीं दी है। यह शपथ -पत्र शासकीय सेवा के अंतर्गत बॉण्ड के बदले जूनियर रेसीडेंट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ

09/08/24

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ~~एवं~~ अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया मध्यप्रदेश

पत्र क्रमांक 6722-26 / जे.आर / द.चि.म. / 2024

दतिया, दिनांक 09/08/2024

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ।

01. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करने हेतु।
03. स्थापना शाखा, शा.चि.महा.दतिया की ओर रिकॉर्ड हेतु।
04. डॉ. मनोहर भाटिया, सहायक प्राध्यापक की ओर प्रेषित कर लेख है कि शा.चि.महा.दतिया की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

09/08/24

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया मध्यप्रदेश

09/08/24
डॉ. किरण त्रिपाठी
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
नोडल अधिकारी, सीनियर/जूनियर रेजिडेन्ट
दतिया